न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या – 81/2024
जीसीएमएस सख्या – 2024/87

अपीलान्ट :–

1. शांति देवी पत्नी श्री सूरजमल
2. मुकेश पुत्र श्री सूरजमल
   जातियान पालीवाल निवासीयान कुई जोधा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।,

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. पेमाराम पुत्र श्री धन्नाराम
2. जितेन्द्र पुत्र श्री धन्नाराम
3. चम्पा पत्नी श्री धन्नाराम सभी जातियान पालीवाल निवासीयान कुई जोधा तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
4. ग्राम पंचायत कुई जोधा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर– (विलोपित आदेश दिनांक 27.11.2024)।
5. जीयाराम पुत्र श्री दयाराम जाति माली निवासी भगतों का बेरा, बालेसर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर। (परफोर्मा पक्षकार)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

टिनेन्सी अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखिलाफ बंटवाडा आदेश दिनांक 30.11.1999 पारित अंतर्गत प्रकरण संख्या कमांकः राजस्व/99/347 पारित द्वारा उप तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर जिसकी पालना में उप तहसीलदार बालेसर द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा करने बाबत आदेश पारित कर बंटवाडा पत्र अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश पारित किया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री अजीत दैया व श्री श्रवण सोलंकी (अपीलान्ट्स की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री मनोहरलाल पालीवाल (रेस्पो0 संख्या 01 से 03 की ओर से)।
3. अधिवक्ता श्री सचिन कच्छवाहा (रेस्पो0 संख्या 05 की ओर से)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 10:53:37 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक : 17.03.2025

1. अपीलांट्स द्वारा यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 225 के अंतर्गत उप तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित आदेश संख्या राजस्व/99/347 दिनांक 30.11.1999 को आराजी बंटवाडा के संबंध में पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 11.01.2023 को पेश की है तथा अपील के साथ, अपील

पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम भी पेश किया है।

2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया।

3. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कुई जोधा, तहसील बालेसर का खसरा नं. 620/5 रकबा 04–01 बीघा, खसरा नं. 419 रकबा 17–06 बीघा, खसरा नं. 148 रकबा 4–10 बीघा, खसरा नं. 127, रकबा 15–07 बीघा, खसरा नं. 131 रकबा 9–12 बीघा, खसरा नं. 132 रकबा 10–12 बीघा, खसरा नं. 133 रकबा 10–14 बीघा तथा खसरा नं. 134 रकबा 10–18 बीघा कुल 82–19 बीघा, खींयाराम के दोनो पुत्र धन्नाराम व सूरजमल के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज थी तथा प्रत्येक के हिस्से में 41–09–10 बीघा भूमि बंट में आती है। उक्त आराजी का आपसी रजामंदी/सहमति से बंटवारा करने हेतु प्रस्ताव पेश करने पर अपीलांट के हिस्से में 21–16 बीघा भूमि तथा प्रत्यर्थीगण के हिस्से में 57–02 बीघा भूमि आवंटित करने का आदेश, उप तहसीलदार बालेसर ने क्रमांक राजस्व/99/347 दिनांक 30.11.1999 को पारित किया गया है तथा आदेशानुसार नामांतरकरण खोला जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया है। अपीलांट्स का कथन है कि बंटवारा आदेश से पहले उनके पति/पिता सूरजमल का देहांत हो गया था तथा अपीलार्थी–2 नाबालिग तथा अपीलांट–1 अनपढ/पर्दानशीन विधवा औरत होने से प्रत्यर्थीगण ने नाजायज फायदा उठाकर विधवा शांतिदेवी का अंगूठा बंटवारानामा पर करवा दिया तथा बंटवारा के विवरण की उन्हे सही जानकारी नहीं दी गई तथा उन्हे 1/2 हिस्से की 40–09–10 बीघा भूमि के बदले सिर्फ 21–16 बीघा भूमि ही दी है। उक्त बंटवारा की जानकारी अपीलार्थी 2 को प्रधानमंत्री कृषि सहायता कोष में दी जाने वाली सहायता राशि प्राप्त करने के लिए कृषि भूमि की प्रतियां लेने पर हुई, इससे पहले उसे कभी भी जानकारी बंटवारा में कम भूमि होने बाबत नहीं थी। अपीलार्थीगण के साथ धोखा व अन्याय हुआ है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.1999 को अपास्त कर 1/2 हिस्सा की [illegible]लवाई जावे।

4. प्रत्यर्थीगण ने अपील का [illegible] कि अपीलांट को बंट में जो भूमि दी गई है, वह मौके पर काबिल [illegible] भूमि की किस्म को देखते हुए आपसी विचार विमर्श के पश्चा[illegible] दी है। भूमि का रकबा, रेस्पोंडेंट को ज्यादा जरूर दिया है परंतु अपीलांट को आवंटित 21–16 बीघा भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:37 IST
Reason: SelfAttested

कीमत किसी भी तरह से कम नहीं है। रेस्पोंडेंट्स को आवंटित भूमि बारानी है, जिसमें वक्त बंटवारा कोई सिंचाई साधन नहीं था तथा भूमि बंजड थी तथा चारों तरफ तारबंदी की हुई नहीं थी तथा उसमें कोई कच्चा–पक्का भवन निर्मित भी नहीं था तथा न ही रोहिडा के वृक्ष थे। इसके विपरीत अपीलांट्स को आवंटित भूमि की किस्म सिंचित तथा बारानी प्रथम है। अपीलांट को दी खसरा नं. 419 में पुश्तैनी मकान बना हुआ है। उसके चारों तरफ तारबंदी की हुई है तथा 50 लाख रूपये के 250 रोहिडा के वृक्ष भी थे। सिंचित भूमि में ट्यूबवेल खुदा हुआ है। खसरा नं. 620/5 में दो पक्के कमरे बने हुए है। इसी कारण से अपीलांट्स को आपसी रजामंदी से कम भूमि दी है तथा अपील देरी से पेश की है। अपीलांट 2 ने पटवारी से दिनांक 09.08.2011, 18.06.2012, 29.12.2014, 12.01.2015, 26.06.2015 तथा अपीलांट 1 ने दिनांक 06.05.2014 को पटवारी से जमाबंदी की नकले ली है जो P-35 में दर्ज है। अपीलांट्स ने के.सी.सी. भी प्राप्त की है। अगर बंटवारा सही नहीं था, तो अपीलांट 2 को बालिग होते ही अपील करनी चाहिए थी। अपीलांट 1 के भाई व अपीलांट 1 ने प्रत्यर्थीगण से पूर्व में विचार विमर्श करके ही आपसी रजामंदी से बंटवारा किया है। अब पारिवारिक मन–मुटावों के कारण यह झूठी अपील देरी से पेश की है। उक्त के अलावा अपीलांट ने ख. नं. 148 में से 4–10 बीघा भूमि प्रत्यर्थी–5 जीयाराम को बेचान की है, जिससे प्रमाणित है कि अपीलांट को बंटवारा की जानकारी थी। अतः पारित आदेश विधि सम्मत है। अपील देरी से पेश हुई है। अतः खारिज किया जावे।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

6. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत दैया ने अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट शांति देवी के सगे देवर पेमाराम के कथनों पर विश्वास करते हुए ग्रामीण परिवेश की विधवा औरत ने लिखा–पढी पर अंगूठा किया है। अपीलार्थी को गलत रूप से भूमि सिंचित होना बताकर कम भूमि दी है। अपीलार्थी पर्दानशीन औरत होने से रिकॉर्ड की जानकारी उसे नहीं हुई। अगर अपीलार्थी को अच्छी भूमि देने का तर्क दिया जाता है तो [illegible] आज भी तैयार है। हमारा कानूनी रूप से 1/2 हिस्सा बनता है तथा उसे प्राप्त करने के अपीलार्थी हकदार है। अतः आक्षेपित बंटवारा आदेश अपास्त कर पुनः बंटवारा किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:37 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त के विपरीत रेस्पोंडेंट संख्या 01–03 के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोहरलाल पालीवाल ने जवाब मीमो व धारा 5 के प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 22.06.1999 को आपसी सहमति से बंटवारा लिखित में पेश किया है तथा उसी अनुसार दिनांक 30.11.1999 को बंटवारा आदेश उप तहसीलदार बालेसर ने पारित किये है।

विद्वान अधिवक्ता ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र अस्पष्ट है, इसमें कहीं भी सर्वप्रथम जानकारी लेने की तिथि का अंकन नहीं है तथा काल्पनिक रूप से झूठे कथन किये है। अपीलांट्स ने समय–समय पर पटवारी हल्का से जमाबंदी व अन्य रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की है, जिसका इन्द्राज रजिस्टर नकल पी–35 में किया हुआ है, रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां पेश की है, जिसके अनुसार अपीलांट्स द्वारा सन 2011 से 2015 तक लगातार इस भूमि के रिकॉर्ड की नकले लेना साबित है तथा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टतः म्याद बाहर है तथा प्रार्थना पत्र में झूठे कथन किये है। बंटवारा पारिवारिक सहमति से किया गया है। अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जावे तथा बंटवारा आदेश यथावत रखा जावे। इसके अतिरिक्त अपीलांट्स ने अपील से पूर्व ही जमीन का बेचान प्रत्यर्थी संख्या 5 जीयाराम को किया है, जिससे जानकारी नहीं होने का कथन स्वतः ही झूठा साबित हो जाता है।

विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांतों का भी जवाब में उल्लेख किया है:–

1999 RRD-389, 1996(1)RLW-714, 2010(1)WLC379, 2009(2) WLC 252, 2006 RRD 713, 2008 RRD-76, 2007 RRD 311, 1999(2) RLW(Raj)-745, 2022(1)RRT 167, 2009 RRD 661, 1996 AIR(Raj) 219, 1994 RRD 26A, 1991 RRD-164, 1989 RRD 564, 2010 AIR SC-2276, 2009 DNJ(Raj)-215, 1996 AIR(Raj)-28, 2016 RRD-96, 2007 AIR SC 1062, 2013(1) RRT (Raj)-150.

8. प्रत्यर्थी संख्या 5 जी[illegible] जवाब पेश नहीं किया गया तथा न ही उनके विद्वान अधिवक्ता ने ब[illegible] में क[illegible] तर्क/कथन पेश किये है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख [illegible] भली भांति अध्ययन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान [illegible] बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर मनन किया तथा न्यायिक विनिश्चियों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:37 IST
Reason: SelfAttested

10. अपील का गुणावगुण पर विवेचन करने से पूर्व, अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने बाबत अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम को निस्तारण करना आवश्यक है–

a. अपीलाधीन आदेश उप तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 30.11.1999 को पारित किया है तथा यह अपील दिनांक 11.01.2023 को इस न्यायालय में करीब 23 वर्ष पश्चात् देरी से पेश की है, जबकि यह अपील नियमानुसार इस न्यायालय में दिनांक 30.12.1999 तक प्रस्तुत होनी थी। अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया है तथा इस प्रार्थना पत्र में देरी के जो कारण वर्णित किये है, वे बहुत ही साधारण प्रकृति के है। पैरा 3 में लिखा है कि "अभी हाल ही में प्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रधानमंत्री किसान सहायता कोष से दी जाने वाली राशि को प्राप्त करने बाबत राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की, जिसको देखने एवं पढने पर प्रथम बार प्रार्थीगण को आलोच्य बंटवारा विलेख तथा बंटवारा आदेश के बारे में प्रथम बार जानकारी हुई। जानकारी से यह अपील अंदर म्याद पेश है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई देरी कारित नहीं की है। अतः न्यायहित में देरी को क्षम्य कर अपील स्वीकार की जावे।" उक्त कथनों के अतिरिक्त कोई कथन अंकित नहीं है तथा न ही कोई दस्तावेज पेश किया है।

b. अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर कथन किया है कि अपीलार्थीगण को बंटवारा आदेश दिनांक 30.11.1999 की पूर्व में भली भांति जानकारी थी। अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा समय–समय पर पटवारी हल्का से ग्राम कुई के रजिस्टर संख्या 35 में अंकित नकले जारी करने बाबत किये गये इन्द्राजों की नकले पेश की है, जिसके अनुसार अपीलांट ने दिनांक 09.08.2011 को जमाबंदी खाता संख्या 189, खसरा नं. 419 के नक्शा की प्रति, दिनांक 18.06.2012 को खाता संख्या 189, दिनांक 29.12.2014 को खसरा नं. 148 व 419 की प्रति, दिनांक 12.01.2015 को नामांतरकरण संख्या 388 की प्रति, दिनांक 26.06.2015 को खाता संख्या 202 व 60 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना पाया जाता है [illegible] प्राप्त कर्ता मुकेश के हस्ताक्षर रजिस्टर में किये हुए है।

c. इसके अतिरिक्त खसरा सं. 148 से भूमि का बेचान प्रत्यर्थी संख्या 5 जीयाराम को भी करना पाया जाता है, जिसका खाता संख्या 105

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:37 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम कुई जोधा की जमाबंदी संवत् 2076–2079 में दर्ज है। जमा बंदी संलग्न पत्रावली है।

d. अपीलांट्स ने प्रत्यर्थी संख्या 1–3 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 के कथनों के जवाब में प्रस्तुत कथनों का जवाब मय शपथ पत्र पेश कर खण्डन नहीं किया है तथा देरी को क्षम्य करने के जो कथन अंकित किये है, वे बहुत साधारण केज्युल तरीके से किये है, जिसमें यह भी अंकित नहीं है कि उसे किस तारीख को रिकॉर्ड की नकल लेने पर सर्वप्रथम बंटवारा की जानकारी हुई है, जबकि प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत कथनों एवं अभिलेख से साबित है कि अपीलांट्स ने सन् 2011 से 2015 तक की अवधि में कई बार आक्षेपित भूमि से संबंधित रिकॉर्ड की नकले पटवारी से प्राप्त की है तथा भूमि का बेचान भी प्रत्यर्थी 5 को किया गया है, जो नकल जमाबंदी से साबित है।

e. प्रत्यर्थी 1–3 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत–

1999 RRD-389, 2010(1)WLC379, 2007 RRD 311, 1999(2) RLW(Raj)-745, 1996 AIR(Raj) 219, 1991 RRD-164, 1989 RRD 564, 2009 DNJ(Raj)-215, 1996 AIR(Raj)-28, 2007 AIR SC 1062 में प्रतिपादित सिद्धांतों का ससम्मान अवलोकन किया। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही दिए गये निम्न विनिश्चयों का भी अवलोकन किया–

Union of India V/S Jahangir Byramji Jeejeebhoy (D) through his LR, 2024 SCC online SC-489;

State of M.P. V/S Raj Kumar Choudhary S.L.P. (C)-Diary No. 48636/2024 D/d-29-11-2024;

H. Guruswamy & ors. V/S V.A. Krishnaiah, Civil Appeal No. 317/2025 D/d-08-01-2025.

उक्त न्यायिक विनिश्चयों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि म्याद अधिनियम के प्रावधान लोक नीति को ध्यान में रखकर बनाए गये है। अपीलांट स्वयं अपनी सुविधा अनुसार म्याद को निर्धारित नहीं कर सकता। पक्षकार स्वयं की निष्क्रियता के कारण, उदार दृष्टिकोण अपना कर देरी को क्षम्य करना उचित नहीं है। ऐसा करने से पक्षकारों के सुस्थापित अधिकारों पर कुठाराघात होता है तथा आपसी विवाद का कभी अंत ही नहीं होगा। अगर पक्षकार देरी का समुचित कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:37 IST
Reason: SetAttested

न्यायालय के सामने रखते हो, देरी को क्षम्य किया जा सकता है, परंतु "जागे तभी सवेरा" की युक्ति, हर प्रकरण में नहीं अपनाई जा सकती।

11. उक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है तथा प्रार्थना पत्र में रूटिन में बहुत ही केजुयल तरीके से, जो कारण अंकित किया है, उसके आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा प्रत्यर्थीगण 1–3 ने, जो अभिलेख पेश किया है, उससे साबित है कि अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी बहुत पहले नकले प्राप्त करने की तिथियों को हो चुकी थी तथा अपीलांट 2 मुकेश भी बालिग हो चुका था परंतु उसने भी बालिग होने के बाद निर्धारित अवधि तीन वर्ष में अपनी माता द्वारा किये कृत्यों को अपास्त करने हेतु कार्यवाही नहीं की है।

अतः अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम खारिज किया जाता है तथा फलस्वरूप प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

12. निर्णय की प्रति तहसीलदार बालेसर को मूल रिकॉर्ड के साथ तुरंत भेजी जावे। पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 17.03.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:37 IST
Reason: SelfAttested